न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 14 / 2023 तारीख रजू:–31.07.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 25

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. प्रहलाद पुत्र रामकरण गुर्जर, निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)
2. मोहनलाल पुत्र देवलाल गुर्जर, निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र चौथमल गुर्जर, निवासी रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी रजमाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. छोटा देवी पत्नि भंवरलाल माली निवासी बालापुरा ढ़ाणी, चौथ का बरवाड़ा।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1:– एकपक्षीय कार्यवाही

वकील अप्रार्थी सं 2 :– श्री सुरेश कुमार वर्मा, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 3:– श्री कपिल देव महावर, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–29.12.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–
   - प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0, ग्राम रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।
   - प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 530 रकबा 0.33 है0 पूर्वी दिशा की ओर एवं खसरा नंबर 523 रकबा [illegible]3 है0 व खसरा नंबर 1264 / 523 रकबा 0.12 है0 के पश्चिम दिशा की ओर बीच मेड़ में होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम रजवाना पर आवागनम हेतु 15 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका नक्शा शीट में अंकन फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Vgeus
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 07.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अप्रार्थी संख्या 03 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 28.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब बंद किया गया।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि का तो रकबा एवं खसरा नम्बर राजस्व ग्राम अंकित किया और ना ही अप्रार्थीका कोई नाम भी अंकित नहीं किया और यह भी अंकित नहीं किया कि किस खसरा नम्बर की भूमि किस खातेदार के नाम है. इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त किये जाने योग्य है

❖ अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात खसरा नम्बर 530 रकबा 0.3300 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा में होकर ना तो पूर्व में काई रिकॉर्डेड एवं कदीमी रास्ता था, ना ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को मात्र हैरान व परेशान करेन के लिए तथा लठठ के जोर पर रास्ता निकालने के लिए यः मनगाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने योग्य है।

❖ प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 529 रकबा 0.6800 हैक्टेयर में जाने हेतु खसरा नम्बर 73 किस्म गैर मुमकिन चारागाह जो ग्राम रजवाना से काले की बताली वाले रास्ते से लगता हुआ है में होकर खसरा नम्बर 83 में होते हूवे खसरा नम्बर 549 545 में होकर जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है तथा प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, इनमें से होते हुए प्रार्थी सख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 543, 544, 535, 536 से होते हुए खसरा नंबर 529 में जाते रहे हैं तथा वर्तमान में भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 530 की पूर्वी दिशा की ओर से कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय योग्य है।

❖ अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

6. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2376 दिनांक 10.10.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है कि–

➢ खसरा नंबर 529 वाके ग्राम रज[illegible]लाद पुत्र रामकरण हि0 13/17, मोहनलाल पुत्र देवल[illegible] के नाम दर्ज है।

➢ उक्त खातेदारी भूमि पर [illegible] हेतु [illegible] वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

➢ नक्शा लट्ठा शीट में आने जाने हेतु खसरा नंबर 530 में डोटेड रास्ता अंकित है। खातेदार द्वारा पूर्व में उक्त नंबर को आने जाने के लिये उपयोग में लिया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- पूर्व में खसरा नंबर 530 में प्रस्तावित रास्ता, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 458 से अमल हो चुका है, यथावत रखा जाना उचित है।
- खसरा नंबर 529 पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 530 में से 4 मीटर चौड़ा एवं 32 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित है।

7. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की बहस सुनी गई, जिन्होने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

8. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 529 रकबा 0.68 है0 पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपने पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता लेने का अधिकार रखते हैं।

9. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगणों को पड़ोसी खातेदारों की कृषि भूमि से रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>—:आदेश:—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण की ग्राम रजवाना, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 529 रकबा 0.68 है0 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 530 में से 4 मीटर चौड़ा एवं 32 मीटर लम्बा रास्ता उपलब्ध करवाकर उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि का संबंधित खातेदारी को दुगुना प्रतिकर, यदि पूर्व में नहीं दिया गया हो तो, संबंधित खातेदार को दिलवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.02.16 14:04:11 IST
Reason: SelfAttested